भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1814

29 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

लक्षद्वीप में योजनाएं

1814. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में उक्त मंत्रालय से संबंधित कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय योजनाओं तथा उक्त योजनाओं के अंतर्गत कवरेज का ब्यौरा क्या है;

(ख) लक्षद्वीप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) तथा उपभोक्ता संरक्षण संबंधी पहलों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) भौगोलिक पृथकता, परिवहन तथा भंडारण संबंधी बाधाओं के कारण इन योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लक्षद्वीप में आवश्यक वस्तुओं की समय पर उपलब्धता, मूल्य स्थिरता तथा उपभोक्ता शिकायतों के प्रभावी निवारण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) लागू कर रही है, जो 75% तक ग्रामीण जनसंख्या और 50% तक शहरी जनसंख्या को कवर करती है, जो जनगणना 2011 के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति है।

.....2/-

लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमजीकेएवाई योजना का सफल कार्यान्वयन किया जा रहा है। दिनांक 16.07.2026 की स्थिति के अनुसार, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने पीएमजीकेएवाई के तहत निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अभीष्ट 21,868 लाभार्थियों में से 20,053 लाभार्थियों की पहचान की है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सफलतापूर्वक लागू की जा रही है।

(ग): लक्षद्वीप में पीडीएस का कार्यान्वयन भौगोलिक, भंडारण और परिवहन संबंधी सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाता है।

(घ): उपभोक्ता मामले विभाग 41 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दैनिक मूल्यों की निगरानी करता है और मूल्यों की दैनिक रिपोर्ट और सांकेतिक रुझानों का विधिवत विश्लेषण करता है ताकि बफर से स्टॉक जारी करना, लक्षित खुदरा हस्तक्षेप, स्टॉकधारक संस्थाओं द्वारा स्टॉक का खुलासा, स्टॉक सीमा लागू करना, व्यापार संबंधी नीतिगत साधनों जैसे आयात शुल्क के यौक्तिकीकरण, आयात कोटा में परिवर्तन, वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध आदि संबंधी उचित निर्णय लिए जा सकें।

मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत दालों और प्याज का बफर स्टॉक रखा जाता है ताकि मूल्यों में उतार-चढ़ाव का समाधान किया जा सके और लक्षद्वीप सहित पूरे देश में इन आवश्यक वस्तुओं को वहनीय मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। बफर स्टॉक की नियमित रूप से निकासी से बाजार में उपलब्धता बढ़ती है, मूल्यों में वृद्धि संतुलित होती है और जमाखोरी और सट्टेबाजी हतोत्साहित होती है।

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सहित पूरे देश के उपभोक्ताओं के लिए एक एकल संपर्क बिंदु के रूप में प्रचलित हुई है जिससे मुकदमेबाजी से पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण हो जाता है। उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर, एसएमएस, ईमेल, वेब पोर्टल और विनिर्दिष्ट ऐप सहित विभिन्न माध्यमों से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
